

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.04.2020 द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्साधिकारी तथा नर्स -कम्पाउण्डर की सेवाएं अग्रिम आदेशों तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को प्रदान गई है।

उक्त आदेश को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाकर समस्त विभागीय चिकित्साधिकारी तथा नर्स -कम्पाउण्डर को पूर्व की भांति आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभागान्तर्गत तत्काल प्रभाव से कार्य करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आज्ञा से,
एस.डी.
(आर.पी. चतुर्वेदी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

दिनांक :- 16.06.2020

क्रमांक:-प्रति1/हो.चिकि./कार्यव्यवस्थार्थ/2020/2794-3804
प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक प.25(5)आयु./2020 पार्ट दिनांक 16.06.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. विभागान्तर्गत कार्यरत/पदस्थापित समस्त होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/नर्स-कम्पाउण्डर, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./मोबाईल यूनिट को पालनार्थ।
9. विभागीय वैबसाइट नोडल अधिकारी को दी जाकर लेख है कि विभागीय वैबसाइट पर आज ही अपलोड करावें एवं समस्त संबन्धित को ई-मेल द्वारा भिजवाये।
10. प्रभारी, कार्यालय लेखा शाखा/विधि शाखा/आवक-जावक शाखा/प्रतिष्ठापन शाखा-II/स्टोर शाखा/कैश शाखा/सामान्य शाखा।
11. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक